IndiaCode

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (निरसन) अधिनियम, 2018

(2018 का अधिनियम संख्यांक 24)

[14 अगस्त, 2018]

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 का निरसन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (निरसन) अधिनियम, 2018 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

निरसन और व्यावृत्तियां।

1993 का 27

2. (1) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 को निरसित किया जाता है और उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग समाप्त हो जाएगा।

1993 का 27

(2) तथापि, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 का निरसन,—

(i) इस प्रकार निरसित अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन को या उसके अधीन सम्यक् रूप से की गई या सहन की गई किसी बात; या

(ii) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व; या

(iii) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन किसी उल्लंघन की बाबत उपगत किसी शास्ति, अधिहरण या दंड; या

(iv) यथा पूर्वोक्त ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, अधिहरण या दंड की बाबत किसी कार्यवाही या उपचार,

को प्रभावित नहीं करेगा तथा ऐसी किसी कार्यवाही या उपचार को इस प्रकार प्रारंभ किया, जारी रखा या प्रवृत्त किया जा सकेगा और ऐसी किसी शास्ति, अधिहरण या दंड को इस प्रकार अधिरोपित या दिया जा सकेगा मानो उस अधिनियम को निरसित नहीं किया गया था।

(3) निरसन के प्रभाव की बाबत, उपधारा (2) में निर्दिष्ट विषयों के उल्लेख को साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के साधारणतया लागू होने के प्रतिकूल या प्रभावित करने वाला अभिनिर्धारित नहीं किया जाएगा। 1897 का 10

———————

IndiaCode